

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 10.11. को 2020थाना लालपुरपाण्डेयपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान - 120 0सं0अ0मुखबिर की सूचना पर मु/392 धारा 2020/ भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 411छोटू पुत्र विजय निवासी ग्राम असवानपुर पोस्ट हरहुआ थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी उम्र वर्ष 22 को ऐंढे रिंग रोड के पास से समय करीब 13.2100 0जिसके कब्जे से लूट के रू ,बजे गिरफ्तार किया गया 30/- नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुरपाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक - कार्यवाही की जा रही है।

\*विवरण पूछताछ\*-

पूछताछ करने पर अभियुक्त छोटू उपरोक्त ने बताया कि आज से ढाई महीने पूर्व ऐंढे रिंग रोड के पास से मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाईकिल, मोबाईल व नगद रूपया छीन लिये थे। बरामद पैसे के बारे में पूछने पर बताया कि मोटरसाईकिल बेचने के बाद हिस्से में 3000 रूपये मिले थे, उसमें से ये बचा हुआ पैसा है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*-

- छोटू पुत्र विजय निवासी ग्राम असवानपुर पोस्ट हरहुआ थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष।

\*बरामदगी का विवरण\*-

- लूट के रू0 2100/- नगद

\*गिरफ्तारी\*-बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण/

- उ0नि0 राहुल रंजन चौकी प्रभारी पहड़िया, उ0नि0 मनीष पाल, का0 सिन्धु कुमार व का0 मंगरू थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

\*आज दिनांक 10.11.2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा मु 2020/ धारा 2020  
376/323/7 भादवि व 506/ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 8ओमप्रकाश राजभर  
गिरफ्तार\*

आज दिनांक 10.11.2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु409 0सं0अ0/376 धारा 2020/323/7 भादवि व 506/ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 8ओमप्रकाश राजभर पुत्र जगनरायण निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र करीब 44 वर्ष को जंसा थाना अन्तर्गत अकेलवा चौराहे के पास उसकी मिठाई के दुकान से समय करीब 06.बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में 40 थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*-

- ओमप्रकाश राजभर पुत्र जगनरायण निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र करीब 44 वर्ष

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण\*-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, व0उ0नि0 जमीलुददील खां, उ0नि0 रामकुमार पाण्डेय, का0 धर्मेन्द्र यादव व का0 दुर्गेश कुमार थाना रोहनियाँ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

\*थाना शिवपुर पुलिस द्वारा शातिर चैन स्नेचर चन्द्रदीप पटेल व अतिश चौहान गिरफ्तार अदद 03 कब्जे से , सोने की चेन 01 , अदद तमन्चा अदद जिन्दा कारतूस 02 , एवं अदद मो 01 टरसाईकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट की बरामद।\*

दिनांक 09.11.2020 को थाना शिवपुर पुलिस देखभाल क्षेत्र वाहन के दौरान/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति , चाँदमारी बाजार में मौजूद थी कि अचानक एक सफेद मोटरसाईकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये , जिन्हे रूकने हेतु इशारा किया गया तो मोटरसाईकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे मौजूद , पुलिस बल द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर समय करीब 22.बजे 02 पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों में से मोटरसाईकिल चालक से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम चन्द्रदीप पटेल उर्फ गोलू पटेल पुत्र शिवलाल पटेल निवासी दानियालपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब , वर्ष बताया 20 जिसकी तलाशी से 01 अदद तमन्चा , बोर 31502 अदद जिन्दा कारतूस , बोर 315 कागज में लिपटी हुई अदद पीली धातु की सोने की चेन 02 , मोबाईल OPPO पर्स , व एक अदद मोटरसाईकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट की सफेद रंग की जिसका चेसिस नं 0 MD634AF8XL2H बरामद हुआ। (17502 मोटरसाईकिल के कागज मांगने पर नहीं दिखा सका। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अतिश चौहान पुत्र छोटे लाल चौहान निवासी दानियालपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब वर्ष 21 जिसकी , बताया तलाशी में एक अदद कागज में लिपटी पीली धातु की सोने की चेन अदद मोबाई 01 , ल INFINIX , एक अदद पर्स जिसको खोलकर देखा गया तो एक मास्क नीले रंग का तथा कुल -/350 रुपया नगद बरामद हुआ। बरामद चैन के संबंध में दोनों अभियुक्तगण से संयुक्त रूप से पूछताछ की गई तो दोनो ने बताया कि हम लोग वाराणसी में घूम-घूम कर चैन छिन्ती करते है। चन्द्रदीप पटेल उर्फ गोलू के पास से बरामद दो चेनों में से एक चैन गोलाकार के बारे में पूछा गया तो बताया कि ये चैन हम दोनों ने मिलकर दिनांक 27.10.05 को समय करीब 2020.बजे शाम 30 को खुशहाल नगर में पैदल जाते समय एक महिला के गले से छिन्ती थी तथा दूसरी चैन चिपटे आकार के बारे में बताया कि उक्त चैन फरवरी को शी 2019 तल नगर कालोनी आर्यन कोचिंग के पास से सायं करीब 6-बजे हम 7 दोनो ने मिलकर छिन्ती थी। अतिश चौहान के पास से बरामद चैन के बारे में पूछा गया तो बताया कि उक्त चैन शारदा विहार कालोनी शिवपुर बसही के पास से एक महिला के गले से फरवरी में हम दोनो 2019 ने मिलकर छिन्ती थी। हम दोनों आज जुआ में काफी पैसा हार गये थे, इसीलिए इन लूटी हुई चेनों को बेचने के लिए जा रहे थे कि आपलोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0633/ 2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार\*अभियुक्तगण का विवरण\*:-

- 01 चन्द्रदीप पटेल उर्फ गोलू पटेल पुत्र शिवलाल पटेल निवासी दानियालपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष
- 02 अतिश चौहान पुत्र छोटे लाल चौहान निवासी दानियालपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष

\*आपराधिक इतिहास\*:-

1. मु0633 0सं0अ0/3 धारा 2020/आयुध अधिनियम थाना शिवपुर वाराणसी। 25

2. मु0स0अ0- 598/ भादवि थाना शिवपुर वाराणसी । 392 धारा 2020
3. मु93 0स0अ0/ भादवि थाना शिवपुर वाराणसी। 392 धारा 2019
4. मु 0स0अ0-0097/392 धारा 2019 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी ।

**\*बरामदगी का विवरण\*-**

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 01 अदद मोटरसाईकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट की जिसका चेसिस नं0 MD634AF8XL2H17502 है।
3. 03 अदद पीली धातु की सोने की चेन

**गिरफ्तारी करने वाली\*पुलिस टीम का विवरण\*-**

- 1- उ चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी । (चौकी प्रभारी) चन्द्रदीप कुमार 0नि0
- 2- हे कमलेश कुमार गुप्ता थाना शिवपुर वाराणसी। 0कां0
- 3- का 0मनोज कुमार थाना शिवपुर वाराणसी।
- 4- का कृष्णानन्द राय थाना शिवपुर वाराणसी। 0
- 5- कांविका 0स कुमार पटेल थाना शिवपुर वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।





\*प्रेस नोट\*

दिनांक 10-11-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत चोरी/लूट/नकबजनी/डकैती एवं मारपीट के मुकदमों में वांछित सक्रिय अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. गोकुल साहनी पुत्र बुद्दु साहनी निवासी सीके 8/22 गढ़वासी टोला मणिकर्णिका थाना चौक वाराणसी उम्र 35 वर्ष – अपराध (चोरी/लूट)
2. लक्ष्मीकान्त सिंह उर्फ पकौड़ी दादा पुत्र स्व0 रमाकान्त सिंह निवासी ग्राम नेवादा पोस्ट मंगारी, थाना फूलपुर वाराणसी उम्र 48 वर्ष- अपराध (चोरी/नकबजनी व टॉप-10)
3. अतुल मिश्रा पुत्र नन्दलाल मिश्रा निवासी ग्राम कुण्डरिया थाना जंसा वाराणसी उम्र-25 वर्ष – अपराध (लूट व टॉप-10)
4. अमित सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र बाबूलाल उर्फ पप्पू सिंह निवासी एस 14/27 ए रनिया महाल तेलियाबाग थाना चेतगंज वाराणसी उम्र 30 वर्ष – अपराध (डकैती/लूट)
5. स्वतंत्र सिंह उर्फ ताड़क पुत्र मुरारी सिंह निवासी तरांव थाना चोलापुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष – अपराध (मारपीट/चोरी)
6. धीरज कुमार पाल पुत्र ओमप्रकाश पाल निवासी दबेथुवा थाना फूलपुर वाराणसी उम्र 25 वर्ष – अपराध (लूट व टॉप-10)

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

\*थाना रामनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक कन्टेनर ट्रक से कुल ) सांड/राशि गोवंश 3014 राशि जीवित तथा (राशि मृत 16 बरामद ,अदद अवैध तमन्चा 01 ,01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ मोहम्मद शादाब व जैनुल आबदीन गिरफ्तार\*

दिनांक 09.11. को थाना रामनगर पुलिस 2020द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक अदद कन्टेनर ट्रक वाहन संख्या UP 21 CN 4439 जिसमें) सांड/राशि गोवंश 30 14 राशि जीवित तथा राशि 16 (मृत लादकर ले जाये जा रहे थे, के साथ व्यक्तियों को ढुंढराज पुलिया 02, नेशनल हाइवे ग्राम भीटी के पास से पकड़ा गया तथा एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम मोहम्मद शादाब पुत्र मो अब्दुल सलाम निवासी सहसवान 0थाना सहसवान जनपद बदायूँ उम्र लगभग वर्ष तथा 25 दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जैनुल आबदीन पुत्र मोसफी निवासी सहसवान थाना सहसवान जनपद बदायूँ 0 उम्र लगभग ) वर्ष 26वाहन चालक( बताया। फरार व्यक्ति का नाम पता पूछने पर बताया कि उसका नाम शाहिद निवासी अज्ञात है जो वाहन स्वामी है। ड्राइवर के केबिन की तलाशी लेने पर अदद 01अवैध तमन्चा बोर व एक जिन्दा 315 बोर 315 कारतूसबरामद हुआ। पूछताछ करने पर बताया कि इस कन्टेनर ट्रक में गोवंश/सांड लदे हैं, जो हम लोग वध हेतु ले जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के/सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु194 0सं0अ0/3 धारा 2020//ए55बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व मु195 0सं0अ0/3 धारा 2020/आर्म्स 25 एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण\*-

1. मोहम्मद शादाब पुत्र मोअब्दुल सलाम निवास 0ी सहसवान थाना सहसवान जनपद बदायूँ उम्र वर्ष । 25
2. जैनुल आबदीन पुत्र मोवर्ष । 26 सफी निवासी सहसवान थाना सहसवान जनपद बदायूँ उम्र 0

\*विवरण बरामदगी\*-

1. 14 राशि जीवित व 16 राशि मृत गोवंश (सांड)
2. एक अदद कन्टेनर ट्रक वाहन संख्या UP 21 CN 4439
3. 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

\*गिरफ्तारी बरामदगी /करने वाली पुलिस टीम का विवरण\*-

1. उविनोद कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी भीटी 0नि0, रामनगर, वाराणसी ।
2. उथाना रामनगर -टुन्नू सिंह 0नि0, वाराणसी।
3. हेसुनील कुमार 0का0, - थाना रामनगर, वाराणसी।
4. का राजेश 0कुमार थाना रामनगर -, वाराणसी।
5. काथाना रामनगर - सिद्धार्थ कुमार रजक 0, वाराणसी।
6. काथाना रामनगर - कुन्नु यादव 0, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।





वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-

[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 74/2020

दिनांक: नवम्बर1 ,0/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 10-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए\* कुल 51 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा \*03 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये \*कुल 879 व्यक्तियों से रु0-32,15 -/0जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 1889 वाहनों का चालान, 14 वाहनों को सीज तथा 186 वाहनों से रु0-1,75,500/ -समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 [ईमेल-](mailto:sspvn-up@nic.in)

[sspvn-up@nic.in](mailto:sspvn-up@nic.in), Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 75/2020

दिनांक: नवम्बर1 ,0/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ं पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन /आडियो/पम्पलेट/बैनर/ ) नम्बरों112,1098,1090,181,1076,108,102 (की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 185 स्थानों पर प्रचार प्रसार कर कुल-5797 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से / सम्बन्धित1503 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 145 स्थानों पर भ्रमणचेकिंग / करते हुए कुल937 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही / 0 करते हुए7 के विरुद्ध ,पुलिस एक्ट की कार्यवाही 34 06 के विरुद्ध ,सीआरपीसी की कार्यवाही 290 03 के विरुद्ध ,सीआरपीसी की कार्यवाही 15115 व्यक्तियों से पूछताछ ,35 मनचलों को हिदायत एवं 33 मनचलों सख्त चेतावनी दी गयी ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।